न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 145/14
निर्णय दिनांकः– 13.06.2018

1. मूलचन्द
2. चौथमल
3. प्रहलाद सहाय

समस्त पुत्रान मोतीराम जाति रैगर नि0 डूंगरीखुर्द तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल
2. केशरमल पुत्र घास्या जाति रैगर नि0 डूंगरीखुर्द तह0 कि0रेनवाल
3. नाथी पुत्री घास्या जाति रैगर नि0 डूंगरीखुर्द तह0 कि0रेनवाल
4. भागचन्द पुत्र भूराराम
5. देवाराम पुत्र भूराराम
6. प्रभूदयाल पुत्र भूराराम
7. कमला पुत्री भूराराम
8. गुलाब पुत्री भूराराम
9. सुमन पुत्री भूराराम
10. कजोड़ पुत्र चन्दा
11. मालीराम पुत्र चन्दा
12. पांचीदेवी पुत्री चन्दा
13. भागचन्द पुत्र मांगू
14. नारायण पुत्र मांगू
15. श्योजीराम पुत्र मांगू
16. सुणीदेवी पुत्री मांगू
17. मोतीदेवी पुत्री मांगू
18. श्योनीदेवी पुत्री मांगू
19. नन्दूदेवी पत्नि मुक्तिराम
20. सावित्रीदेवी पुत्री मुक्तिराम
21. मोहनीदेवी पुत्री मुक्तिराम
22. विधादेवी पुत्री मुक्तिराम
23. ममतादेवी पुत्री मुक्तिराम
24. कमलेश पुत्री मुक्तिराम
25. अशोक पुत्र मुक्तिराम
26. सुभाष पुत्र मुक्तिराम
27. विनोद पुत्र मुक्तिराम
28. गंगाराम पुत्र छोटू
29. रामस्वरूप पुत्र छोटू

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

30. मनभरीदेवी पुत्री छोटू
31. प्रभातीदेवी पुत्री छोटू
32. मन्नीदेवी पुत्री छोटू
33. गीतादेवी पुत्री छोटू
34. रामेश्वर पुत्र छोटू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आवेदकगण के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 382/1 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम डूंगरीखुर्द तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है के चरपेटवा उत्तर भुजा में खं0नं0 383 रकबा 15 विस्वा स्थित है जिस पर प्रार्थीगण पर्चा सेटलमेन्ट से काबिज काश्त रहकर फसल का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है प्रार्थीगण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 382/1 के चरपेटवा उत्तर भुजा में स्थित खं0नं0 383 रकबा 15 विस्वा है का नक्शा ट्रेस में सहवन से रकबा 15 विस्वा के स्थान पर 1 बीघा 10 विस्वा अर्थात् 15 विस्वा अधिक आवेदकगण की उत्तरी भुजा की अर्थात् खं0नं0 383 के दक्षिण भुजा में शामिल करते हुये दर्ज कर दिया जिससे प्रार्थीगण की आराजीयात खं0नं0 383 रकबा 15 विस्वा में शामिल हो गई जबकि खं0नं0 383 के खातेदार अपने रकबे 15 विस्वा पर ही मौके पर काबिज है किन्तु सहवन से नक्शा ट्रेस ग्राम डूंगरी के खं0नं0 382/1 की आराजीयात को दबाते हुये खं0नं0 383 का रकबा अधिक दर्ज कर दिया जो निम्न कारणों से अवैध व दुरूस्त किये जाने योग्य है। आवेदकगण ने नक्शा ट्रेस में सहवन से खं0नं0 383 का बड़ा रकबा दर्शित होने को दुरूस्त करने बाबत श्रीमान् तहसीलदार साहब तह0 कि0रेनवाल को दुरूस्ती बाबत प्रा0पत्र प्रस्तुत किया तो तहसीलदार साहब ने आवेदकगण को हिदायत दी कि उक्त आराजी खं0नं0 383 का सहवन से बड़ा रकबा पर्चा सेटलमेन्ट के समय ही दर्शित कर दिया जिसकी दुरूस्ती बाबत श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय सांभर के यहा आवेदन करो इसलिए श्रीमान् के यहा अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने बाबत आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना लाजिम हुआ।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली की गयी। जवाब का अवलोकन किया जिसके अनुसार खं0नं0 383 का रकबा नक्शे में अधिक दर्शाया है नक्शे में 1 बीघा 10 विस्वा दर्शाया है जबकि राजस्व रिकोर्ड में 15 विस्वा ही होनी चाहिए पत्रावली के अवलोकन से खं0नं0 383 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसे बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है प्रार्थी अधिवक्ता को निर्देशित किया गया कि वह खं0नं0 383 के खातेदारों को पक्षकार बनायें जिस पर वकील प्रार्थी ने एक प्रा0पत्र आर्डर 1 रूल 10जा0दी0 का पेश किया जो स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं0 6, 10 लगा0 34 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सूची के संलग्न अखबार साया की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों के विरूद्व एकतरफा

खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया जिस पर पत्रावली का अवलोकन करने पर अप्रार्थीगण बावजूद अखबार में प्रकाशन के अनुपस्थित है अतः अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 34 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वकील प्रार्थी ने दस्तावेज सूची के संलग्न सेटलमेन्ट का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति व प्रार्थी का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में न्यायालय हाजा में पेश हुयी। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली की गयी। वकील प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रा0पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर आराजी खं0नं0 383 रकबा 15 विस्वा जो नक्शें मे 1 बीघा 10 विस्वा का इन्द्राज हो रखा है के स्थान पर नक्शें में 15 विस्वा एवं खं0नं0 382/1 रकबा 5 बीघा 10 विस्वा जो नक्शें में उत्तरी सीमा पर कम अंकित है जिसका रकबा पूर्ण कर तरमीम कर नक्शें में दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को तद्नुसार पालना हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 13.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक जिला जयपुर

दिनांक 4.7.18

क्रमांक/राजस्व/969

वास्ते :– तहसीलदार फुलेरा

विषय :– मूलचन्द बनाम तहसीलदार कि0रेनवाल वगै0

मु0नं0 145/14

उपरोक्त प्रकरण में आपकों निर्णय दिनांक 13.06.2018 की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक निर्णय दिनांक 13.06.2018 की पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक 31.7.18 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

अतः आज दिनांक 4.7.18.......... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

हस्ताक्षर,
उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner